

प्राक्कथन

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व क्षेत्र की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा परिणामों का प्रस्तुतीकरण है जिसमें वाणिज्य कर/मूल्य संवर्धित कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, खनिज प्राप्तियाँ एवं अन्य कर एवं करेत्तर प्राप्तियाँ समिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामलों में वे मामले हैं जो वर्ष 2011–12 में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये ऐसे मामले, जिन्हें विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समिलित नहीं किया जा सका।